ब–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–16/20–21

मु0 शमीम बनाम् बीबी गुलशन आरा वगै0

11.07.2023

–:आदेश:–

वर्त्तमान वाद आवेदक मु0 शमीम, पे0–हसमुद्धीन अली, सा0–घाट गम्हरिया, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–घाट गम्हरिया, नं0–767, जमाबंदी नं0–27, दाग नं0–308, रकवा– 00–02–18–10 धूरकी जमीन से विपक्षीगण बीबी गुलशन आरा, पति–स्व0 शे0 शमसेर, मु0 मोईनउद्धीन, पे0–स्व0 शे0 शमसेर, सा0–घाट गम्हरिया, थाना व अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, स्वयं के द्वारा स्थल जांच, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–525/रा0, दिनांक–11.03.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि उक्त भूमि के जमाबंदी रैयत से विपक्षी का कोई संबंध नहीं है। अतः प्रासंगिक भूमि से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षी को उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, महागामा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

(Sd) 11.07.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(Sd) 11.07.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen
Subhash Chandra Choudhary
Adv.
24.07.2023

Seen
24/7/23

Digitally signed by SAURABH KUMAR BHUWANIA
Date: 2023.09.21 13:47:49 +05:30
Location: 192.168.1.33